ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब दावा के पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा रोटू के खाता संख्या 6 प्रदर्श–1 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा काशीपुरा के खाता संख्या 30 प्रदर्श–2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। उक्त भूमियां गणपतसिंह व रामसिंह दोनों भाईयों कि आधि आधि थी परन्तु राजस्व रिकोर्ड में केवल गणपतसिंह का ही नाम दर्ज हो गया है। वादीगण उक्त भूमियों पर जन्म से हक अधिकार है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। उक्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी भूमियां है एवं पुश्तैनी भूमियों का ही बंट चाहा गया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण मदनसिंह एवं ओमसिंह के शामलाति हक बंट कब्जे काश्त में मौजा रोटू का खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.7061 हैक्टेयर में से रकबा 2.8531 हैक्टेयर दक्षिणी भाग व खसरा नम्बर 730 रकबा 1.0684 हैक्टेयर में से रकबा 0.5342 हैक्टेयर दक्षिणी भाग व मौजा काशिपुरा के खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.2950 हैक्टेयर में से रकबा 0.6475 हैक्टेयर पूर्वी भाग व खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.8130 हैक्टेयर में से रकबा 0.9065 हैक्टेयर पश्चिमि भाग रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 क्रमाशः अन्नेसिंह, जगदीशसिंह, भागीरथसिंह एवं शिवराजसिंह के शामलाति हक बंट कब्जे काश्त में मौजा रोटू का खेत खसरा नम्बर 729 रकबा 5.7061 हैक्टेयर में से रकबा 2.8530 हैक्टेयर उत्तरी भाग व खसरा नम्बर 730 रकबा 1.0684 हैक्टेयर में से रकबा 0.5342 हैक्टेयर उत्तरी भाग व मौजा काशिपुरा के खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.2950 हैक्टेयर में से रकबा 0.6475 हैक्टेयर पूर्वि भाग व खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.8130 हैक्टेयर में से रकबा 0.9065 हैक्टेयर पश्चिमि भाग रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 24/01/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner